न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–179 / 2020
GCMS NO:- 2020/00325 दायर दिनांक: 15.10.2020
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कल्याण पुत्र जयलाल जाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामनारायण पुत्र गेन्दीलालजाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामचरण पुत्र कान्हाजाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामहेत पुत्र कान्हाजाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामफूल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. सुखपाल पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र दल्लाजाति बैरवा निवासी मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 01.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोडसा पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण कल्याण, रामहेत, रामचरण व रामफूल के खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1165 तथा रामनारायण के खाते व कब्जे की भूमि खसरा संख्या 699 व 700 भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने व गाडी बेल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाने के लिये ग्राम मोडसा की बैरवा बस्ती से प्रत्यार्थी की खसरा संख्या 698 में होकर सरकारी दर्ज रास्ते में जो बैरवा बस्ती से हांपोलाई जाता है, से मिल जाता है जो आगे प्रार्थी रामनारायण के खाते कब्जे की जमीन खसरा संख्या 699 के कोने पर होकर आगे सरकारी रास्ते में होकर प्रार्थीगण कल्याण , रामहेत, रामचरण, रामफूल के खाते व हिस्से की जमीन खसरा संख्या 1165 में पहुँचता है। जिसे परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाये गया हैं। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी सदैव से करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं होने के कारण प्रत्यार्थी प्रार्थीगण को उक्त रास्ते में होकर निकलने से मना करने लगे व लडाई झगडा करने को तैयार हो गये । यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थी मोहनलाल ने जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने सदैव के रास्ते को जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उसको बन्दोबस्त विभाग से मिलीभगत कर खत्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested

...ाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाया है जिसको उसी स्थान पर पुनः निकालने व राजस्व रिकार्ड में ...र्ज करने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे तथा रास्ता जिसके साबिक खसरा संख्या 468 है को बहाल कर वापस रिकार्ड में दर्ज करने की कृपा करे।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 698 रकबा 4 बिघा 09 बिस्वा में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः इसके लिए रास्ता खसरा संख्या 698 रकबा 4 बिघा 09 बिस्वा में से 435 फीट • 13 फीट = 5655 वर्गफीट भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो इनकी भूमि खसरा नम्बर 1165, 699, 700 में पहुंचता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट मोडसा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम मोडसा पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां में प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की भूमि के खसरा संख्या 1165, 699, 700 भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 698 रकबा 4 बिघा 09 बिस्वा में से 435 फीट • 13 फीट = 5655 वर्गफीट भूमि का प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested